



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 470603

-3-

के बाबत हम प्रथम पक्ष को पूर्ण रुप से स्वामित्व व अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष 30 वर्ष के पट्टे पर लेने हेतु प्रथम पक्ष से आग्रह किया जिसे प्रथम पक्ष कुछ शर्तों के आधार पर मुबलिग 12,000/- बारह हजार रुपया वार्षिक किराये पर द्वितीयपक्ष को पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया तथा आज अपनी राजी खुशी से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को निम्नवर्णित सम्पत्ति पर बतौर पट्टेदार आबाद कर दिया। प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के बीच पट्टा मियादी 30 वर्ष के बाबत जो शर्तें तय हुई हैं उन्हें लिपिबद्ध किया जाना अति आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई विवाद न पैदा हों। अतः पक्षगण अपने मन, शरीर व मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में प्रसन्नता पूर्वक विला किसी जोर दबाव व प्रलोभन के स्वतंत्र इच्छा से यह इकरारनामा बाबत पट्टा मियादी 30 वर्ष के एक दूसरे के पक्ष में तहरीर कर

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Principal
J.D.S. PUBLIC SCHOOL
Varanasi

[Handwritten signature]
Manager

JDS Public School
Varanasi

[Handwritten signature]

